

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश

कमांक/शि.स्था.2-3/2017/22387  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 31/8/17

कलेक्टर,  
जिला ..... मध्यप्रदेश ।

विषय:- विशिष्ट संस्थाओं में एम.पी.ऑनलाई परीक्षा के माध्यम से चयन शिक्षकों के पदस्थापना के संबंध में ।

सन्दर्भ :- कार्यालयीन पत्र कमांक/शि.स्था.2-3/2017 भोपाल दिनांक 27/07/2017

विषयांतर्ग संदर्भित पत्र के माध्यम से विभागीय विशिष्ट संस्थाओं में व्याख्याताओं/शिक्षा कर्मी वर्ग-1/वरिष्ठ अध्यापक/ प्रधानपाठक मा.शा./ संविदा शिक्षा कर्मी वर्ग-1/ शिक्षक (उ.श्रे.शि./शिक्षा कर्मी वर्ग-2 एवं अध्यापकों) को ऑनलाईन परीक्षा के माध्यम से चयन एवं पदस्थापना की गयी थी इस कारण उन्हें सहायक आयुक्त/ प्राचार्यो द्वारा कार्यमुक्त किया गया है, परंतु उक्त शैक्षणिक अमले द्वारा स्थान परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है एवं इन शिक्षको की द्वितीय काउन्सलिंग के माध्यम से पुनः पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है अतः इन शिक्षकों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने तक दिनांक 27/07/2017 से पूर्व पदस्थ संस्था में ही वेतन आहरण किया जाये एवं अध्यापन का कार्य लिया जाये ।


आयुक्त,  
आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश

//2//

पृ0कमांक / शि.स्था.2-3 / 2017 / 22388  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 31/8/17

- 1/- समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश ।
- 2/- समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास / जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, मध्यप्रदेश ।

  
अपर संचालक,  
आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश